निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 18/2016
दायरा दिनांकः–29.08.2016
निर्णय दिनांकः– 13.5.24

उनवान

रामसिंह उम्र 46 वर्ष आत्मज करण सिंह जाति सांसी सा0 लक्ष्मीपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 13.5.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम खातोली तहसील छबडा में भूमिया खसरा नम्बर 133 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, एवं खसरा नम्बर 134 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा,कुल 2 किता आराजीयात मवाजी 65 बीघा अवस्थित है जो प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई बोरा एवं प्रार्थी की माता मुन्नी बाई तथा पूरण गेलन उधम सुभाष मु0 कमलेश मु0 पूतली बाई के शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज है उक्त वर्णित शामलाती खातेदारान मे से प्रार्थी के भाई बोरा का स्वर्गवास उसकी नाबालिग मे ही हो चुका है उसके जायज वारिसान एवं कायम मुकामान प्रार्थी एवं प्रार्थीया की माता मुन्नी बाई है। अप्रार्थी तहसीलदार छबडा के सम्बन्धित रेवेन्यू अधिकारियो ने सहवन से भूलवश शामलाती खाते में दर्ज उक्त वर्णित भूमियों के हिस्सा 1/6 पर प्रार्थी का नाम रामसिंह के बजाय मटुका आत्मज करमण सिंह एवं इसी प्रकार उक्त वर्णित भूमियों के हिस्से 1/6 पर प्रार्थी के पिता का नाम करणसिंह के बजाय माधो [illegible] दर्ज कर दिया गया है खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड [illegible] जबकि राशन कार्ड तथा आई कार्ड में प्रार्थी [illegible] रामसिंह आत्मज करण सिंह दर्ज है। उक्त वर्णित शामलाती [illegible] की भूमियो [illegible] नाम मटुका हिस्सा 1/6 पर इसी प्रकार हिस्सा 1/6 [illegible] माधो दर्ज [illegible] जाने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा भूमियो [illegible] सम्बन्धित प्रारम्भ [illegible] रही योजनाओ से लाभान्वित होने से वंचित होना पड रहा है। जिसके कारण प्रार्थी को भयंकर रूप से आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार छबडा के सम्बन्धित रेवेन्यू अधिकारियों से सम्पर्क कर उक्त वर्णित भूमियों पर से प्रार्थी मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

भाई बोरा का नाम खातेदारी से खारिज कर खाते में दर्ज हिस्सा 1/6 पर प्रार्थी का नाम मटुका के स्थान पर रामसिंह इसी प्रकार हिस्सा 1/6 पर प्रार्थी के पिता का नाम माधो के स्थान पर करण सिंह दर्ज कर खाते में इन्द्राज दुरूस्त करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थी की कोई सुनवाई नही की अन्त में दिनांक 12.08.216 को पूनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती का वाद सक्षत न्यायालय में पेश करने की प्रार्थी को हिदायत दी अतः यही दिनांक 12.08.2016 बिनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र कायम की जाती है। प्रार्थी अपने मृतक भाई बोरा का नाम खारिज कराने का एवं राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबन्दी में हुये गलत इन्द्राज को इन्द्राज दुरूस्त कराने का वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकर सरकार को जर्ये सम्मन तलब कियया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 45 पेश की गई फोटो प्रति परिवारराशन कार्ड, पहचान पत्र, रामसिंह का पेश किया गया। तहसीलदार छबडा से वारिसान के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खातोली तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थी के भाई बोरा माता मुन्नी बाई तथा पूरण गेलन उधम सुभाष मु0 कमलेश मु0 पूतली के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी प्रार्थी के भाई बोरा का स्वर्गवास उसकी नाबा0 अवस्था में हो गया था। उनके जायज वारिसान प्रार्थी व उनकी माता मुन्नी बाई है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामसिंह की बजाय मटुका पुत्र करणसिंह तथा पिता का नाम करण सिंह के बजाय माधो दर्ज कर दिया है जबकि राशन कार्ड,पहचान पत्र, में प्रार्थी का नाम रामसिंह आत्मज करणसिंह दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित होने के कारण राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है प्रार्थी का नाम मटुका के स्थान पर रामसिंह तथा पिता का नाम माधो के स्थान पर करणसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे ताकि राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रार्थी के भाई मृतक बोरा का नाम राजस्व से खारिज किया जावे बोरा का स्वर्गवास नाबा0 अवस्था में हो गया था। प्रार्थी का नाम एव पिता जी का नाम दुरूस्त किया जावे एवं बोरा का नाम राजस्व रिकार्ड से खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 269–72 खाता सं0 45 के अनुसार मटुका बोरा नाबा0 पुत्र करणसिंह, मुन्नी बाई बेवा करणसिंह हिस्सा 1/6 रामसिंह पुत्र माधो हिस्सा 1/6 पूरण गेलन, उधम, पुत्र चतरा हिस्सा 3/6 सुभाष पुत्र मोती, पुतली बाई, बेवा मोती हिस्सा 1/6 जाति सांसी दर्ज है। फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड में रामसिंह सांसी, फोटो प्रति पहचान पत्र में रामसिंह अंकित है तहसीलदार छबडा द्वारा रिपोर्ट में बताया कि ग्राम वारिसान बताया कि बोरा नाबा0 पुत्र करणसिंह जो कि कुंवारा फोत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हो गया जिसका साक्ष्य उपलब्ध न होने के चलते राजस्व रिकार्ड में नाम चला आ रहा है साथ ही इसी क्रम में मटुका जो कि रामसिंह है कि जो कि वादीगण है जो कि करणसिंह का ही पुत्र होना बताया है माधो इसके पिता का करणरसिंह का भाई करणसिंह फोत होने के चलते करणसिंह की बेवा माधो के नाते बैठना बताया प्रार्थी द्वारा मटुका एवं बोरा के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये जिससे मटुका का नाम रामसिंह साबित हो सके। और न ही प्रार्थी द्वारा बोरा के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेज एवं सबूत पेश नही किया जिससे बोरा नाबा0 अवस्था में फोत होना साबित हो सके। पर्याप्त साक्ष्य सबूत के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:14 IST
Reason: SelfAttested